**वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 26.12.2025 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर",अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिन्दुस्तान, ज्ञानशिखा टाइम्स, न्यायाधीश,"समाचार पत्र कटिंग का विवरण।**

## अमर उजाला–दि0 26.12.2025

### वीडीए और स्मार्ट सिटी मिलकर बनाएंगे जीआईएस आधारित मास्टर प्लान

**वाराणसी।** वीडीए और स्मार्ट सिटी संयुक्त रूप से जीआईएस आधारित मास्टर प्लान बनाएंगे। इसमें जीआईएस प्लेटफॉर्म पर लैंड यूज, मैप अप्रूवल, ग्रीन बेल्ट, पार्क, मॉन्यूमेंट, किसी भी भवन के स्वामित्व एवं स्वीकृत मानचित्र जैसी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां अपलोड की जाएंगी। इससे आम जनता आसानी से पोर्टल के जरिये जानकारी ले सकेगी। हाल ही में स्मार्ट सिटी ने शहर का 3-डी अर्बन स्पेशल डिजिटल ट्विन मैप तैयार किया है। इसमें शहर के समस्त वार्डों के कुल 160 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को शामिल किया गया है। इसमें 50 से अधिक लेयर-वार मैप संकलित किए गए हैं। वीडीए उपाध्यक्ष पूर्ण बोरा के अनुसार जीआईएस आधारित शहर का मास्टर प्लान आगामी 30 साल के भविष्य को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा। इसके जरिये शहर का बेहतर विकास होगा। ब्यूरो

## अमर उजाला–दि0 26.12.2025

### अब अवैध प्लॉटिंग पर लगाम लगाएंगे तहसील के लेखपाल

**वीडीए को देंगे सूचना, एसडीएम के साथ हुई बैठक में वीडीए उपाध्यक्ष का निर्देश**

माई सिटी रिपोर्टर

**वाराणसी।** अवैध प्लॉटिंग पर लगाम लगाने के लिए बृहस्पतिवार को वीडीए सभागार में वीडीए उपाध्यक्ष पूर्ण बोरा ने तीनों तहसीलों के एसडीएम और रजिस्ट्रार के साथ बैठक की। इसमें वीडीए उपाध्यक्ष ने सभी एसडीएम को निर्देशित किया कि उनके क्षेत्र में कहीं भी यदि अवैध प्लॉटिंग हो रही हो, तो लेखपाल के माध्यम से उसे रोका जाए। साथ ही प्राधिकरण को भी इसकी सूचना दी जाए, जिससे अवैध प्लॉटिंग पर रोक लगाई जा सके।

उन्होंने कहा कि भविष्य में आम जनमानस को ऐसी किसी भी अवैध प्लॉटिंग में प्लॉट लेने से पहले जागरूक किया जा सके। आम जनता से अपील की गई कि वे केवल वीडीए से ले-आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें, जिससे उन्हें किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े। प्राधिकरण का उद्देश्य आने वाले 25 से 30 वर्षों के विकास को ध्यान में रखते हुए वाराणसी को सुनियोजित तरीके से विकसित करना है।

वीडीए उपाध्यक्ष ने कहा कि आम जनता की गाढ़ी कमाई लूटने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। यहां अक्सर लुभावने विज्ञापनों के जरिये आम जनता की कमाई लूटी जाती है। बिना स्वीकृत ले-आउट के डेवलपर्स प्लॉट बेचकर भाग जाते हैं। बाद में लोगों को जनसुविधाओं को लेकर परेशानी झेलनी पड़ती है। कई बार दूसरे का प्लॉट दिखाकर बेचने की शिकायतें भी आती हैं।

# वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com


## दैनिक जागरण–दि0 26.12.2025

# लेखपाल भी बनाएंगे क्षेत्र में अवैध कालोनियों की सूची

जागरण संवाददाता, वाराणसी : अवैध कालोनी बसाने वालों पर शिकंजा कसने के लिए वाराणसी विकास प्राधिकरण ने एक और बड़ा कदम उठाया है। वीडीए के जोनल अधिकारी, अवर अभियंता, सुपरवाइजर, चतुर्थ श्रेणी कर्मी, आउटसोर्सिंग पर तैनात फील्ड असिस्टेंट और भूतपूर्व सैनिकों के अलावा अब तहसील के लेखपाल भी अपने-अपने क्षेत्र में अवैध कालोनियों की सूची बनाने के साथ वीडीए उपाध्यक्ष को सौंपेंगे। वीडीए की कार्रवाई का असर है कि अब तक 11 डेवलपर्स कालोनी का ले-आउट पास कराने के लिए आवेदन कर चुके हैं।

वीडीए उपाध्यक्ष पुर्ण बोरा ने बताया कि वीडीए कर्मी अवैध कालोनियों की सूची बनाने के साथ कार्रवाई कर रहे हैं। क्षेत्र में लेखपाल रहने के साथ उनको अवैध कालोनियों के बारे में जानकारी रहती है। ऐसे में जिले के तीनों तहसील के एसडीएम, तहसीलदार के साथ बैठक कर निर्देशित किया गया है कि लेखपाल के जरिए अवैध कालोनियों की सूची उपलब्ध कराएं जिससे सख्ती से अमल में लाया जा सके। अवैध प्लाटिंग के खिलाफ कार्रवाई करने के पीछे किसी का उत्पीड़न करना नहीं है, बल्कि सुनियोजित विकास करने के साथ आमजन को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना है। वीडीए से ले-आउट पास होने और डेवेलपर्स की ओर से मिले विकास शुल्क को उसी कालोनी के विकास में लगाया जाएगा। वीडीए के अवस्थापना निधि से भी विकास कार्य कराया जाएगा। ले-आउट पास कालोनी प्रमुख सड़क से जोड़ने का काम किया जाएगा।

## हिन्दुस्तान–दि0 26.12.2025

# लेखपालों की मदद से अवैध प्लाटिंग रोकेगा प्राधिकरण

- **एसडीएम को जिम्मेदारी तय करने का निर्देश**
- **मास्टर प्लान, ले आउट की ट्रेनिंग दी जाएगी**

**वाराणसी, विशेष संवाददाता।** विकास प्राधिकरण अवैध निर्माण और प्लॉटिंग पर नियंत्रण के लिए लेखपालों और रजिस्ट्री कार्यालय की मदद लेगा। इस सम्बंध में प्राधिकरण उपाध्यक्ष पुर्ण वोहरा ने गुरुवार को एसडीएम और सब रजिस्ट्रार के साथ बैठक की।

प्राधिकरण कार्यालय में तीनों तहसीलों के उपजिलाधिकारी और रजिस्ट्रार के साथ बैठक में उपाध्यक्ष ने कहा कि उनके क्षेत्र में कहीं भी अगर अवैध प्लाटिंग हो रही है तो लेखपाल के माध्यम से उनको रोका जाए और प्राधिकरण को भी सूचित किया जाए। लेखपालों को इसके बारे में जागरूक किया जाएगा। साथ ही उन्हें मास्टर प्लान और ले-आउट के सम्बंध में प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। वहीं, सब-रजिस्ट्रार से कहा कि यदि एक ही खतौनी नंबर के कई प्लॉट की खरीद-बिक्री होने का मामला सामने आये। वे जमीन क्रेता से खरीद के सम्बंध में एनओसी की मांग करे।

## न्यायाधीश–दि0 26.12.2025

### अवैध प्लाटिंग के संबंध में तीनों तहसीलों के उपजिलाधिकारी एवं रजिस्ट्रार के साथ बैठक आयोजित

वाराणसी। वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष द्वारा 25/12/2025 को वाराणसी विकास प्राधिकरण के क्षेत्रांतर्गत हो रहे अवैध प्लाटिंग के संबंध में वाराणसी के तीनों तहसीलों के उपजिलाधिकारी एवं रजिस्ट्रार के साथ बैठक की गई। बैठक में उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सभी एसडीएम को निर्देशित किया गया की उनके क्षेत्र में कहीं भी अगर अवैध प्लाटिंग हो रही है तो लेखपाल के माध्यम से उनको रोका जाए एवं प्राधिकरण को भी सूचित किया जाए जिससे अवैध प्लाटिंग पर रोक लगाई जा सके एवं भविष्य में आम जनमानस को ऐसे किसी भी अवैध प्लाटिंग में प्लॉट लेने से जागरूक किया जा सके। प्लॉट लेने से पहले ले- आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें जिससे उनको किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े। प्राधिकरण का उद्देश्य आने वाले भविष्य के 25 से 30 वर्षों के विकास को ध्यान में रखकर वाराणसी को सुनियोजित तरीके से विकसित किया जा सकें।

## परफेक्ट मिशन–दि0 26.12.2025

### वीडीए उपाध्यक्ष ने तीन तहसीलों के एसडीएम के साथ की बैठक

**अवैध प्लॉटिंग रोकने के सम्बन्ध में वीसी ने किया निर्देशित**

वाराणसी (परफेक्ट मिशन)। वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष द्वारा वाराणसी विकास प्राधिकरण के क्षेत्रांतर्गत हो रहे अवैध प्लाटिंग के संबंध में गुरुवार को वाराणसी के तीनों तहसीलों के उपजिलाधिकारी एवं रजिस्ट्रार के साथ बैठक की गई।

बैठक में उपाध्यक्ष पूर्ण बोरा ने सभी एसडीएम को निर्देशित किया की उनके क्षेत्र में कहीं भी अगर अवैध प्लाटिंग हो रही है तो लेखपाल के माध्यम से उनको रोका जाए एवं प्राधिकरण को भी सूचित किया जाए जिससे अवैध प्लाटिंग पर रोक लगाई जा सके एवं भविष्य में आम जनमानस को ऐसे किसी भी अवैध प्लाटिंग में प्लॉट लेने से जागरूक किया जा सके। प्लॉट लेने से पहले ले- आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें जिससे उनको किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े। प्राधिकरण का उद्देश्य आने वाले भविष्य के 25 से 30 वर्षों के विकास को ध्यान में रखकर वाराणसी को सुनियोजित तरीके से विकसित किया जा सकें।